

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE
Gazette of India
GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, Dated: 2-3-83

NOTIFICATION
INCOME-TAX

No. 5724 (F.No. 261/3/83-IT3). In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all previous Notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes hereby direct that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column 2 of the schedule below shall perform their functions in respect of all persons and income assessed to Income-tax or Super Tax in the Income Tax Circles, Jheels or Districts specified in the corresponding entry in column 3 thereof : -

SCHEDULE

<u>NO.</u>	<u>RANGE</u>	<u>INCOME-TAX CIRCLES/JHEELS OR DISTRICTS</u>
1.	Cuttack Range, Cuttack.	1. Cuttack (City) Circle 2. Cuttack (Rural) Circle 3. Dhenkanal Circle 4. Jharipada Circle 5. Balasore Circle.
2.	Rourkela Range, Rourkela.	1. Rourkela Circle 2. Sambalpur Circle 3. Berhampur Circle 4. Jharsuguda Circle 5. Keonjhar Circle.
3.	Berhampur Range, Berhampur.	1. Berhampur Circle 2. Bhadrak Circle 3. Special Investigation Circle 4. Salary Circle. 5. Phulbani Circle 6. Bhuvanipatna Circle 7. Jayapore Circle 8. Puri Circle 9. Bolangir Circle 10. Estate Duty Circle, Bhubaneswar. 11. Investigation Circle, Bhubaneswar 12. Salary Circle, Bhubaneswar

12/67/83/HZC

4/3

MHB
3/3

whereas an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward, or District or part thereof is transferred shall, from the date of this Notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 15-2-1983.

Ajai Singh
(AJAI SINGH)

Under Secretary

Central Board of Direct Taxes

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

Copy to:

1. The Commissioner of Income-tax, Bhubaneswar.
2. The Registrar, Income Tax Appellate Tribunal, Maharishi Karva Marg, Bombay.
3. The AD I(RS&P) Bulletin Section, New Delhi.
4. Joint Secy & Legal Advisor, Ministry of Law, New Delhi.
5. ED Secy/Ad VI Sec./27 CC Sec.

Ajai Singh
(AJAI SINGH)

Under Secretary

Central Board of Direct Taxes

JRx
15283

भारत के राजपत्र के भाग ॥ संख्या 3 (१) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक २-३-८३

अधिसूचना

(आयकर)

संख्या ५/२४ (पाएस० २६।।/३/८३ आ० क०-या०) ३ अयकर अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४३) की धारा १२२ की उपधारा (१) द्वारा प्रदल्ल शक्तियों का और इस संबंध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अधिकार देने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में पिछली सभी अधिसूचनाओं का अधिलंबन करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सतद्वारा निर्देश देता है कि नवी दी गई अनुसूची के लं स्तंभ (२) में विनिर्दिष्ट रेजें के अपीलीय संहायक आयकर असुन्त उक्त अनुसूची के स्तंभ (३) की तर्संक्षी प्रविधि में विनिर्दिष्ट आयकर परिमंडलों, वार्डों आयवा जिलों में आयकर या अधिकर से निधारित सभी शक्तियों और अय के संबंध में अपने कार्यों का निर्वहण करें।

अनुसूची

क्रम सं० १ रेंज

आयकर परिमंडल/वार्ड या जिले

१ २ ३

१. कटक रेंज, कटक ।

१. कटक (शहर) परिमंडल ।

२. कटक (ग्रामीण), परिमंडल ।

३. घेनक्नाल, परिमंडल ।

४. बारीषाडा परिमंडल ।

५. बलसोर परिमंडल ।

M.W.B
3/3

(क० प० उ०)

1	2	3
2. राउरकेला रेंज राउरकेला ।		1. राउरकेला परिमडल 2. सृष्टि भालपुर परिमडल 3. बारगढ़ परिमडल 4. जारसुगुड़ा परिमडल 5. पद्मोहर परिमडल
3. वरहामपुर रेंज, वरहामपुर ।		1. वरहामपुर परिमडल 2. भुवनेश्वर परिमडल 3. किंत्रिम जंगल परिमडल 4. वेतन परिमडल 5. पूलवनी परिमडल 6. भवातीय द्वा परिमडल 7. जप्तोर परिमडल 8. पुरी परिमडल 9. वेतगोर परिमडल 10. सृष्टि पुर्ण शुक्क परिमडल, भुवनेश्वर । 11. जाच परिमडल, भुवनेश्वर 12. वेतन परिमडल, भुवनेश्वर

परम लोहे अथवा परिमडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका लोहे भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अतिरिक्त कर दिया जाता है, उस अथवा परिमडल, वार्ड अथवा जिले अथवा उसके किसी अभाग में किस गण करने वाली अधिकारियों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व रेंज के उस अधीलीय सहायक अधिकृत के सम्मानिताराधीन पड़ी जाती है, जिसके अधिकार क्षेत्र से उस अथवा परिमडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका लोहे भाग अतीरिक्त दिया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से रेंज के उस अधीलीय सहायक अधिकृत द्वारा अतिरिक्त

को जायेगी और उसके द्वारा निषट्यांती जायेगी, जिसके अधिकार देश में उक्त परिमंडल बोर्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग जीतरित किया गया हो।

यह अधिसूचना १५.२.१९८३ से लागू होगी।

३०२४१८६
(अज्य मिह)

अवर सचिव,
केन्द्रीय प्रस्त्यक्ष कर बोर्ड

सेवा भै,

प्रबंधक,
भारत सरकर प्रेस,
मायापुरी, नई दिल्ली।